क्रमांकः प. 6(।।) प्र.सु. / अनु.–3 / 2008 /

जयपुर, दिनांकः 7.3.2008

आज्ञा

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग (IT Industry) में निवेश हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं के त्वरित अवलोकन, मूल्यांकन एवं अनुमोदन हेतु 'सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा नीति 2007 (IT & ITES Policy 2007)' के बिंदु संख्या 2.2.2 के अनुसार **परियोजना मूल्यांकन समिति (Project Appraisal Committee)** के गठन की महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :–

1.	आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमेंट प्रमोशन	अध्यक्ष
2.	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	उपाध्यक्ष
3.	उप शासन सचिव–1, उद्योग	सदस्य सचिव
4.	महाप्रबन्धक (बी.आई.पी.), ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमेंट प्रमोशन	सदस्य
5.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (प्रभारी, आई.टी. नीति), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य

परियोजना मूल्यांकन समिति निम्नलिखित कार्य सम्पादित करेगीः–

1. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश प्रक्रिया को सुलभ बनाने हेतु त्वरित मूल्यांकन की कार्यवाही।
2. सरकार को प्राप्त निवेश प्रस्तावों में राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2000 एवं 2007 के अनुसार दी जा सकने वाली छूट इत्यादि को चिन्हित करना।
3. मूल्यांकन पश्चात प्रस्ताव को उचित पाये जाने पर राज्य सरकार (उद्योग विभाग) को अभिशंसा भेजना।
4. समिति यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकार को प्राप्त प्रस्ताव की अभिशंसा एक माह के अर्न्तगत जारी कर दी जावें।

परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी। इस समिति का प्रशासनिक विभाग उद्योग विभाग होगा।

आज्ञा से,

(गजानन्द)
शासन उप सचिव

निरन्तर–2

कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
5. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
6. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
7. प्रमुख शासन सचिव. वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर
8. प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर
9. आयुक्त एवं शासन सचिव, जन–सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. समस्त शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
11. आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमेंट प्रमोशन, राजस्थान, जयपुर
12. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
13. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, जयपुर
14. उपशासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर
15. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय–I, II, III एवं 4)
16. समिति के समस्त सदस्य (समिति के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से)
17. उप शासन सचिव–1, उद्योग विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियॉ समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित हैं
18. रक्षित पत्रावली

अनुभागधिकारी